



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

कमांक 268 /अकादमी/संबद्धता/ प्रबंध संकाय/2025

भोपाल, दिनांक 06.02.25

प्रति,

DIRECTOR

(कालेज कोड-952)

Truba College of science & Technology

Bhopal M.P.

विषय: अस्थाई संबद्धता/अस्थाई संबद्धता की निरंतरता सत्र 2024-25

सन्दर्भ:-AICTE EOA No Central/1-43662468996/2024/EOA Dated 23/03/2024

महोदय,

विद्यापरिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 19.06.2024में की गई अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 04.07.2024में अनुमोदन पश्चात् आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता की निरंतरता निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है:-

S. NO.	Course	Status	Seats
01	MBA -FT I	TEMPORARY	180

शर्त:-

- (1) प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता/निरन्तरता हेतु आगामी सत्र 2025-26 के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सम्बद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ नियत दिनांक तक आवेदन करना होगा।
- (2) बिना सम्बद्धता/निरन्तरता के किसी छात्र/छात्रा का प्रवेश मान्य नहीं होगा। अन्यथा उसकी संपूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।
- (3) विश्वविद्यालय परिनियम 27,28 तथा परीक्षा अध्यादेश 5,6,7 में दर्शित प्रावधानों का पालन करना महाविद्यालय प्रबंधन के लिए आवश्यक होगा। किसी भी प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर यह सम्बद्धता/निरन्तरता स्वतः ही निरस्त हो जावेगी।
- (4) अशासकीय महाविद्यालयों को आगामी सम्बद्धता हेतु आवेदन के साथ रु. 100-00 के स्टम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में जानकारी जिसमें केन्द्रीय नियामक संस्था ए.आई.सी.टी.ई., नई दिल्ली की मान्यता, विश्वविद्यालय द्वारा जारी विगत वर्षों के सम्बद्धता/निरन्तरता पत्र, महाविद्यालय की संचालन समिति के पंजीयन दस्तावेज, पार्ट-ए में दर्शित दस्तावेज, समिति द्वारा क्रय की गई भूमि की रजिस्ट्री, नगर निगम/नगर पालिका/पंचायत द्वारा अनुमोदित महाविद्यालय का नक्शा, खसरा नम्बर, महाविद्यालय का निर्माणाधीन एरिया, विल्डिंग पूर्ण होने का प्रमाण पत्र, खेल मैदान की जानकारी, खेल मैदान की महाविद्यालय से दूरी एवं उसका सत्यापन, महाविद्यालय में उपलब्ध क्लासरूम की संख्या, उसमें कितने छात्रों को अध्ययन कराया जाता है, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, उपलब्ध फर्नीचर, उपकरण, कम्प्यूटर पुस्तकों की संख्या, महाविद्यालय का फोटोग्राफ जियोटैगिंग सहित, क्लासरूम, प्रयोगशाला, पुस्तकालय का फोटोग्राफ, महाविद्यालय की समिति का पुनर्गठन, शासीनिकाय के कार्यवृत्त संबंधी जानकारी विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- (5) शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति वि.वि. परिनियम (College Code) 28 के तहत छात्रों के अनुपात में पूर्ण कर नियुक्त शिक्षकों की सूची नियुक्तिपत्र, ज्वाइनिंग रिपोर्ट, शिक्षकों का आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर, शिक्षकों के बैंक खातों की जानकारी विश्वविद्यालय में हार्डकापी में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। महाविद्यालय को स्वीकृत सीट संख्या महाविद्यालय में प्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों की संख्या एवं सूची तथा रिक्त सीटों की संख्या की जानकारी विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (6) महाविद्यालय को विश्वविद्यालय परिनियम 28 कण्डिका 8(I) के अंतर्गत समस्त जानकारीयों महाविद्यालय की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
- (7) महाविद्यालय की बेलेन्सशीट, आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
- (8) शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठक का आयोजन एवं विवरण तीन माह में वि.वि. को भेजना होगा।
- (9) संबंधित पाठ्यक्रमों हेतु FDR वि.वि. में जमा करना अनिवार्य होगा।
- (10) उक्त शर्तों का पालन नहीं करने पर परिनियम-27 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

भोपाल, दिनांक

06.02.25

पृ० कमांक 268 A /अकादमी/संबद्धता/प्रबंध संकाय/2025

प्रतिलिपि:-

1. संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. सचिव, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल।
4. अवर सचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
5. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
6. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
7. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
8. निज नस्ती

सहा. कुलसचिव, अकादमी